संख्या–331 /IV(2)-श0वि0–22(सा0)–2017

प्रेषक,

अरविन्द सिंह हयांकी,
प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग–2

देहरादूनः दिनांक 28 मार्च, 2017

विषय : वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016–17 में नगर निगम, हरिद्वार को अवस्थापना विकास निधि से धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक नगर आयुक्त, नगर निगम, हरिद्वार के पत्रांक–375/नि0वि0/2016–17, दिनांक 27.03.2017 सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगर निगम, हरिद्वार द्वारा निगम क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव/आगणन के सापेक्ष संलग्नक–1 में उल्लिखित विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु कार्यवार संस्तुत **कुल ₹ 65.33 लाख (रूपये पैंसठ लाख तेतीस हजार मात्र)** की धनराशि की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त धनराशि को व्यय हेतु आपके निवर्तन में रखे जाने हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(i) उक्त धनराशि **कुल ₹ 65.33 लाख (रूपये पैंसठ लाख तेतीस हजार मात्र)** आपके द्वारा आहरित कर शासनादेश में उल्लिखित शर्तों के अनुसार नगर निगम, हरिद्वार को बैंक ड्राफ्ट अथवा चैक के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

(ii) उपरोक्त स्वीकृत कार्यों में यदि कोई कार्य किसी अन्य मद/योजना से करा लिया गया है अथवा उक्त हेतु पूर्व में धनराशि अवमुक्त हो चुकी है, तो उक्त स्वीकृत कार्य के सापेक्ष धनराशि राजकोष में जमा करा दी जाय।

(iii) कार्यों की समयबद्धता, गुणवत्ता अथवा कार्यों की Duplicacy की स्थिति में सम्बन्धित तकनीकी अधिकारी/अधिशासी अधिकारी पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।

(iv) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं योजनाओं/कार्यों पर किया जायेगा, जिस हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जा रही है।

(v) मुख्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV-219/2006 दिनांक 30 मई, 2006 के द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय का कड़ाई से पालन किया जाए।

(vi) स्वीकृत कार्य कराते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 एवं मितव्यियता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये।

(vii) निर्माण कार्य पर प्रयोग किये जाने वाली सामग्री का नमूना परीक्षण अवश्य करा लिया जाये तथा उपयुक्त पायी गयी सामग्री का ही प्रयोग निर्माण कार्य में किया जाये।

(viii) स्वीकृत निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और किसी भी दशा में पुनरीक्षित आगणनों पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी।

(ix) सभी निर्माण कार्य समय–समय पर गुणवत्ता एवं मानकों के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेशों के अनुरूप कराये जायेंगे।

..2/-....

(x) निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी नवीन एस0ओ0आर0 के अनुरूप पूर्ण कराए जायेंगे एवं कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

(xi) स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाय।

(xii) विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।

(xiii) धनराशि की स्वीकृति/उपयोग के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश संख्याः 847/XXVII(1)/2016, दिनांक 26.07.2016 में प्रदत्त निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(xiv) नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के क्रम में कार्यदायी संस्था द्वारा ठेकेदार के साथ किये जाने वाले Construction Agreement में एक वर्ष का Defect Liability Period तथा 3 वर्ष तक अनुरक्षण की शर्त भी रखी जायेगी।

(xv) धनराशि का दिनांक 31-3-2017 तक पूर्ण उपयोग कर, कार्य का वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

2- उक्त के संबध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-13 के लेखाशीर्षक-2217-शहरी विकास-03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-आयोजनागत- 191-स्थानीय निकायो, निगमो, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डो को सहायता-03-नगरों का समेकित विकास-05-मलिन बस्ती विकास/नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास"-'20 सहायक अनुदान/अशदान/राज सहायता' के नामे ₹ 50.30 लाख, अनुदान सं0-30 के लेखाशीर्षक-2217-शहरी विकास-03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-आयोजनागत- 191-स्थानीय निकायो, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणो, नगर सुधार बोर्डो को सहायता-03-नगरों का समेकित विकास-05-मलिन बस्ती विकास/नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास"-'42-अन्य व्यय के नामे ₹ 12.42 लाख तथा अनुदान सं0-31 के लेखाशीर्षक- 2217-शहरी विकास-03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-आयोजनागत-191- स्थानीय निकायो, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डो को सहायता-03-नगरों का समेकित विकास-05- मलिन बस्ती विकास/नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास "-'20 सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता' के नामे ₹2.61 लाख डाला जाएगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 183/XXVII(1)/2012, दिनांक 28.03.2012 में सुनिश्चित व्यवस्थानुसार अलॉटमेन्ट आई डी-S.17031305806, S.17053300588 एवं S.17033105829 के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अरविन्द सिंह ह्यांकी)
प्रभारी सचिव।

<u>सं0-331 (1)/IV(2)-श0वि0-2017, तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी/शहरी विकास मंत्री जी।
3. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।

4. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6. वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, 23–लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग–2 / संयुक्त निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
8. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि शहरी विकास के जी0ओ0 में इसे शामिल करें।
9. नगर आयुक्त, नगर निगम, हरिद्वार।
10. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(डी0एम0एस0 राणा)
उप सचिव।

संलग्नक–1

शासनादेश संख्या: 331 /IV(2)-श0वि0–22(सा0)–2017, दिनांक 28 मार्च, 2017 का संलग्नक।

(धनराशि ₹ लाख में)

क्र.सं.	कार्य का नाम	स्वीकृत धनराशि
1.	कडच्छ मौहल्ला से महेन्द्र सिंह पाल के मकान से गीता राम के भवन तक एवं श्री गिरीधारी के मकान से शिकलचन्द भवन तक एवं श्री गिरीधारी के मकान से शिकलचन्द के मकान तक सड़क/नाली का निर्माण एवं मरम्मत का निर्माण।	1.34
2.	वाटर वर्क्स कालोनी में राकेश चौहान के भवन से रीता के घर तक सी0सी0 सडक का निर्माण।	4.63
3.	भभूतावाला बाग में भानु गुप्ता के घर से जसवंत सिंह के घर तक सी0सी0 सडक का निर्माण।	3.74
4.	वाटर वर्क्स कालोनी में श्री महेश मण्डल के मकान से रमेश धीमान के घर की ओर सडक का सी0सी0 निर्माण।	2.24
5.	ब्रहमपुरी में गुप्ता के मकान से पप्पू छोले वाले के मकान तक सी0सी0 सडक का निर्माण।	0.84
6.	ब्रहमपुरी में मुन्ना बर्तन वाले के मकान से कुम्बल के मकान तक सी0सी0 सडक निर्माण कार्य।	0.72
7.	ब्रहमपुरी में सीवर पम्पिंग स्टेशन से राजू रस्तौगी के मकान तक सी0सी0 सडक निर्माण कार्य।	1.42
8.	ब्रहमपुरी में यशपाल खाती के मकान से मनोज शवत के मकान तक सी0सी0 सडक निर्माण कार्य।	0.84
9.	ब्रहमपुरी में लाला घनश्याम के मकान से प्रताप भवन तक सी0सी0 सडक निर्माण कार्य।	0.84
10.	कनखल रूइयां धर्मशाला के सामने डा0 के0पी0 शर्मा के घर के पास रोड पटरी का सी0सी0 द्वारा निर्माण।	1.21
11.	मायापुर में सरस्वती शिशु मन्दिर के गेट से निरंजनी अखाडा रोड तक सी0सी0 सडक निर्माण कार्य।	1.59
12.	मायापुर बैराज कालोनी में रमेश ध्यानी के घर से मनोरमा राय के घर तक सी0सी0 सडक निर्माण कार्य।	2.09
13.	मायापुर में सरस्वती शिशु मन्दिर के गेट से निरंजनी अखाडा रोड तक सी0सी0 सडक का निर्माण कार्य।	1.59
14.	मौ0 मालियान शिव मन्दिर से अंकित चौहान के घर की ओर जाने वाली सडक का सी0सी0 द्वारा निर्माण।	4.91
15.	शारदा नगर में कदम सिंह सैनी के सामने वाली गली में सी0सी0 सडक निर्माण।	2.83
16.	गंगापुरी में सडक एवं नाली निर्माण।	4.79
17.	दुर्गानगर की ब्रान्च गलियों का टाईल्स द्वारा निर्माण।	4.55
18.	मुक्ति नारायण झा के मकान से बृजभूषण विद्यार्थी के कार्यालय तक साइड पटरी निर्माण कार्य।	1.91
19.	महेन्द्र से राजू तनेजा एवं गोविन्द से सेवा तक सी0सी0 सडक निर्माण।	3.39
20.	न्यू रामनगर/दयानन्द नगरी अशोक छिब्बर के घर से चन्द्रशेखर के घर तक सी0सी0 सडक निर्माण।	4.23
21.	रामनगर महेन्द्र के घर से भोले के घर तक सी0सी0 सड़क निर्माण।	2.26
22.	भारतमातापुरम में राजेशपुरी के घर तक सी0सी0 सडक निर्माण कार्य।	4.57
23.	विपिन रावत के घर से ध्यानी जी के घर तक सी0सी0 रोड़ का निर्माण।	4.23
24.	नया हरिद्वार में बी0एस0 भटननागर से गीताजली के सामने तक सी0सी0 संडक का निर्माण।	4.57
	योग–	65.33

(रूपये पैंसठ लाख तेतीस हजार मात्र)

(डी0एम0एस0 राणा)
उप सचिव।